चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 04.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 04.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गौरव तिवारी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त 1. गुफरान पुत्र अमीर हसन निवासी भरतपुरी कर्वी 2. बालकेश पुत्र मुन्ना कारीगर निवासी पासी तिराहा 3. संतोष पुत्र रामा निवासी रामपुरी 4. सोनू पुत्र रमेश निवासी भरतपुरी 5. अगनू पुत्र रघ्घू 6. चंदन रैकवार उर्फ आशुतोष पुत्र दिनेश 7. राजेश पुत्र पंचम निवासीगण मछलीमण्डी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 15210/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 3100/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1.मालफड़ 15210/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते

2.जामा तलाशी से 3100/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी थाना कोत0 कर्वी

2.उ0नि0 श्री हर्षित मिश्रा

3.आरक्षी शिवपूजन यादव

4.आरक्षी राहुल देव

5.आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

6.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(4). आज दिनाँक-04.11.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । जिलाधिकारी चित्रकूट ने महिला बैरक में विद्यालय,अस्पताल वार्ड, बैरक न0 01 से 16 व सीसीटीवी कैमरे, पाठशाला का निरीक्षण कर महिला बैरक में निरुद्ध महिला कैदियों व उनके बच्चे से खानपान व समस्याओं के बारे में जानकारी तथा बच्चों को झूला व खेलने के लिए सामान उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तत्पश्चात अस्पताल वार्ड का निरीक्षण कर निरुद्ध कैदियों से स्वास्थ्य लाभ व समस्याओं के बारे में जानकारी लिए एवं निर्देशित किया कि समय-समय पर कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते रहें। जिलाधिकारी ने दीपावली के कार्यक्रम की भी जानकारी ली जिस पर जेल अधीक्षक ने बताया कि दीपोत्सव में रंगोली व अन्य जो कार्यक्रम होते हैं आयोजित किए गए। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कैम्पस में सीसीटीवी कैमरा संचालित रहनी चाहिए एवं सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न होने पाये। जिलाधिकारी ने पाकशाला का निरीक्षण के दौरान पाकशाला में बनाए गए चावल के बारे में जानकारी लिए एवं जेल अधीक्षक को निर्देशित किए कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार दिया जाए इसमें कोई अनियमितता नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने जेल अधिक्षक से ड्यूटी के बारे में जानकारी लिए एवं निर्देशित किया कि दिन-रात जो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है वह शासन की गाइड लाइन के अनुसार होनी चाहिए एवं तटस्थ रहकर सुरक्षा कर्मी ड्यूटी करें। उन्होंने जेल अधीक्षक से लगाए गए समस्त सुरक्षाकर्मियों की संख्यात्मक बलों के भी बारे में जानकारी लिए एवं निर्देशित किया कि ठंड का मौसम आ गया है संबंधित व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कराए।

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक श्री शशांक पांडेय,जेलर सन्तोष कुमार वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा शिवकुमार, जेलर श्री राजनीस कुमार सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

(5). आज दिनाँक-04.11.2024 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील सभागार मऊ में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी मऊ श्री शौरभ यादव तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार कर्वी में किया गया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सम्पूर्ण समाधान दिवस कर्वी में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने भूमि सम्बन्धित मामलों पर जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से कहा कि राजस्व, चकबंदी एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि संबंधी मामलों को प्राथमिकता पर कब्जा मुक्त कराया जाये।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी श्री सुभाष चंद्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री पीडी विश्वकर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत श्री दीपक सिंह, अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खंड श्री संतोष कुमार सिंह, तहसीलदार कर्वी श्री वॉचसपति सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं राजस्व एवं पुलिस के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

(7). आज दिनाँक-04.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया। बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी। परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्दर्शन में थाना राजापुर की पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त को चोरी का लाखों का माल व 01 अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मृदुल उर्फ आयूष मिश्रा पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासी पूरब सरीरा थाना पश्चिम सरीला जिला कौशाम्बी

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

भभेट मोड़ के 30 कदम आगे खाली खेत थाना राजापुर जनपद चित्रकूट दिनाँक 03.11.2024 को समय 22.00 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 236/2024 धारा 305 बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

2.मु0अ0सं0 238/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0सं0 143/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना रैपुरा जनपद जनपद चित्रकूट

4.मु0अ0सं0 144/2024 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगी-

(i). 01 अदद तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर

(ii). 01 जोड़ी पायल सफेद धातु

(iii). 02 जोड़ी बिछिया सफेद धातु

(iV). 01 जोड़ी झुमकी डबल पीली धातु

(v). 01 अदद लेडीज अंगूठी पीली धातु

(Vi). 01 अदद मंगलसूत्र लाल व काली मोती पीली धातू

(Vii). VIVO मोबाइल एक अदद ऑरेन्ज कलर एन्ड्राइड

(viii). 8100/- रूपये नगद

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 02.11.2024 को वादिया श्रीमती संतीता देवी पत्नी शिव महेश निवासी पियरिया माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने सूचना दी थी कि दिनांक 31.10.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा घर में घुसकर घर में रखे जेवर तथा मोबाइल चोरी कर ले गये। घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 236/2024 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर उ0नि0 सिद्धनाथ राय को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे। उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय व उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर दिनाँक 03.11.2024 को समय 22.00 बजे भभेट मोड़ के 30 कदम आगे खाली खेत थाना राजापुर जनपद चित्रकूट से अभियुक्त मृदुल उर्फ आयूष मिश्रा पुत्र नरेन्द्र मिश्रा निवासी पूरब सरीरा थाना पश्चिम सरीला जिला कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर,01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, दो जोड़ी बिछिया सफेद धातु, एक जोड़ी झुमकी डबल तथा पीली धातु, एक अदद लेडीज अंगूठी पीली धातु, एक अदद मंगलसूत्र लालस व काली मोती में जिसमें 3 लाकेट व 4 मोंगा पीली धातु, पेंट के पीछे दाहिने वाली जेब से एक अदद मोबाइल फोन ViVO कम्पनी टच स्क्रीन आरेन्ज कलर, 500-500 रू0 के 16 नोट व 50-50 रू0 के 2 नोट कुल 8100/- रूपये बरामद हुआ मोबाइल को सिस्टम से चेक किया गया तो उसमें IMEI न0 860398068347498 व दूसरा 860398068347480 स्क्रीन पर अंकित दिखा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त ने कड़ाई से पूंछतांछ में बताया कि मेरा पियरिया गाँव में ननिहाल, ग्राम भौरी में मेरी रिश्तेदारी है। मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ अब से करीब 02 माह पूर्व मैने ग्राह देशाह मजरा गौरिया थाना रैपुरा क्षेत्र में दिनाँक 13/14.08.2024 को दो चोरिया ग्राम देशाह मजरा गौरिया थाना रैपुरा से की है। जिसके सम्बन्ध में थाना रैपुरा में बात की गयी तो बताये कि मेरे यहाँ ग्राम देशाह की 02 चोरी के मुकदमें लिखे गये है। 1. मु0अ0सं0 143/24 धारा 331(4)/305 BNS व मु0अ0सं0 144/24 थाना 331(4)/305 BNS पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 रविकान्त द्वारा की जा रही है। उपरोक्त मुकदमों में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी एवं अवैध तमंचा व कारतूस के रखने के सम्बन्ध में थाना राजापुर में 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना राजापुर
2. उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह
3. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
4. आरक्षी अजय मिश्रा
5. आरक्षी लवकुश यादव